रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 8, 1995/आषाढ़ 17, 1917
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 8, 1995/ASHADA 17, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1995

सा.का.नि. 316.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में ज्येष्ठ पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, ज्येष्ठ पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक समूह "क" पद पर भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1995

सा.का.नि. 326—इ.गां.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 50) की धारा 25 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबंध बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 22-3-95 के पत्र सं. एफ. 5-9/94-यू. 1 डेस्क के माध्यम से प्राप्त कुलाधिपति के अनुमोदन से संविधि 10क के खंड (5) में संशोधन करता है। संशोधन के बाद संविधि 10क का खंड (5) निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

"(5) बोर्ड आवश्यकतानुसार अपनी बैठक आयोजित करेगा, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। विद्यापीठ की बैठक के लिए बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई भाग से कोरम बनेगा।"

यह संशोधन 22-3-1995 से प्रभावी माना जाएगा।

[सं. आईजी/प्रशा (जी)/एस टी 10क/89]

दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 21st June, 1995

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred on it under Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management made an amendment to Clause (5) of Statute 10A with the approval of the Visitor conveyed vide MHRD Letter No. F. 5-9|94-U. 1 Desk dated 22-3-1995. Clause (5) of Statute 10A after amendment will read as follows :

"(5) The Board shall meet, as and when necessary, but shall meet at least twice a year. One third of the total membership of the Board shall form a quorum for a meeting of the School."

This amendment will be effective from 22-3-1995.

[No. IG|ADMN(G)|ST10A|89]

D. C. PANT, Acting Registrar

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1995

सा.का.नि. 327—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची में, अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)/अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत), अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/अधीक्षक इंजीनियर (सिविल), कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) सर्वेक्षक संकर्म (विद्युत), कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/सर्वेक्षक संकर्म (सिविल)/मुख्य इंजीनियर (सिविल) का इंजीनियर अधिकारी के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 2, 3, 5 और 6 तथा उनसे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
2. अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)/ अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)	3* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य अर्हता है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 3000–4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :— (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य; (2) आठ वर्ष का वृत्तिक अनुभव । 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

13	14
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी—सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन—सदस्य 5. मुख्य इंजीनियर (सिविल), सिविल निर्माण स्कन्ध—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
3. अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	10* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/इंजीनियर अधिकारी (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य अर्हता है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए अपने ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 3000-4500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है :— (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

12
(2) आठ वर्ष का वृत्तिक अनुभव ।   पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।   इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले निर्धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी—सदस्य 4 मुख्य इंजीनियर (सिविल), सिविल निर्माण स्कंध—सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)	19* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3000-100-3500-125-4500 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सहायक इंजीनियर के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे सहायक इंजीनियर

12

(विद्युत) सहायक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) अधीक्षक इंजीनियर/अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) का इंजीनियरी सहायक जिनके पास इंजीनियरी में डिग्री है और उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिनके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा हो, उन्होंने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1:—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी / पदों पर अपेक्षित। अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2 :—ऐसे सहायक इंजीनियरों की श्रेणी में पदों की कुल संख्या जिनको डिप्लोमा धारक सहायक इंजीनियरों द्वारा किसी एक समय में भरा जाना है, कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) की श्रेणी में कुल पद संख्या के 33.113 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक/कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(2) जिन्होंने 2200-4000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है;

(3) जिन्होंने 2000-3500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की है;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य;

(2) पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर, प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी —सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर (दूरदर्शन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
6. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) मुख्य इंजीनियर (सिविल) का इंजीनियर अधिकारी	60* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे सहायक इंजीनियर (सिविल) सहायक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) अधीक्षक इंजीनियर, अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) के इंजीनियरी सहायक जिनके पास इंजीनियरी में डिग्री है और उन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिनके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा है, उन्होंने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी, पदों पर अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जायेगी । टिप्पण 2 : कार्यपालक इंजीनियर की, श्रेणी में पदों की कुल संख्या जो डिप्लोमा धारक ऐसे सहायक इंजीनियरों द्वारा किसी एक समय में भरी जानी है, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) की श्रेणी में कुल पद संख्या के 33.113 प्रतिशत. से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नति के लिये विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (2) जिन्होंने 2200-4000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 2000-3500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में कोई डिग्री या समतुल्य, (2) पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव ।

(11)	12
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(13)	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी—सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन—सदस्य 5. मुख्य इंजीनियर (सिविल) सिविल निर्माण स्कन्ध—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या 301/7/93 बी (डी)]
श्यामालिमा बैनर्जी, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 370 ता. 28-3-88 के द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th June, 1995

G.S.R. 327.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, in the Schedule for serial numbers 2, 3, 5 & 6 relating to the post of Superintending Surveyor of Works (Electrical)|Superintending Engineer (Electrical), Superintending Surveyor of Works (Civil)|Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Electrical)|Surveyor of Works (Electrical), Executive Engineer (Civil)|Suryevor of Works (Civil)|Engineer Officer to Chief Engineer (Civil) respectively for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 Superintending Surveyor of works (Electrical)/ Superintending Engineer (Electrical)	3* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted non-Ministerial	3700-125-4700-150-5000.	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of the vacancy to be filled by various Methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Executive Engineers (Electrical)/ Surveyor of works (Electrical) with 5 years regular service in the grade and possessing a degree in engineering or equivalent qualification. Note : Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualiyfying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. Transfer on deputation : Officers under the Central Goverment:	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion). 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting—Member 3. Chief Engineer, All India Radio—Member 4. Chief Engineer, Doordarshan —Member. 5. Chief Engineer (Civil), Civil Constrution Wing—Member.	Consultation with UPSC not necessary.

12

(a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and

(b) Possessing following qualifications and experience:

(i) Degree in Electrical Engineering from a recognised university or equivalemt.

(ii) 8 Years professional experience.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/depratment of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

1	2	3	4	5	6
3. Superintending surveyors of works (Civil)/Superintending Engineer (Civil)	11* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (non-ministerial)	3700-125-4700-150-5000	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Executive Engineer (Civil)/ Surveyor of Works (Civil)/ Engineer Officers (Civil) with 5 years regular service in the grade and possessing a degree	**Group A Departmental Promotion Committee (for considering promotion)** **1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman**	**Consultation with UPSC not necessary.**

(12)	(13)
in engineering from a recognised university or equivalent qualification. Note: Wehre juniors who have completed their qual fying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligioility service by more than one year and have successfully completed their probation period. Transfer on Deputation: Officers under the Central Government:— (a)(i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and (b) Possessing following qualifications and experience:.. (i) Degree in civil engineering from a recognised university or equivalent. (ii) 8 years professional experience. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appirtment in the same or some other organisation, department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	2. Joint Secretary Ministry of Information and Broadcasting —Member. 3. Chief Engineer All India Radio —Member. 4. Chief Engineer (Civil). Civil Construction Wing—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Executive Engineer (Electrical/Surveyor of Works (Electrical)	17* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial,	3000-100-3500-125-4500	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not appl'cable	Not applicable	2 years for Assistant Engineers

(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion. Assistant Executive Engineers (Eelectrical) with 5 years regular service in the grade and Assistant Engineers (Electrical)/ Assistant Surveyor of Works (Electrical)/Engineer Assistant to Superintending Engineer/Superintending surveyor of works (Electrical) having degree in engineering with 8 years regular service in the grade and those having a diploma in engineering with 11 years regular service in the grade. Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the requisite qualifying service in the respective grade/post. NOTE 2: The total number of posts in the grade of Executive Engineer to be filled by the diploma holder Assistant Engineers at any point of time shall not exceed 33-1/3% of the sanctioned strength in the grade of Executive Engineers (Electrical). Note 3: Where Juniors who have completed their qualifying eligiblity service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualiyf ng/eligiblity service by more than one year	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion. 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting—Member. 3. Chief Engineer, All India Radio—Member. 4. Chief Engineer (Civil), Civil Construction Wing —Member. 5. Chief Engineer (Doordarshan) —Member.	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

(12)

and have successfully completed their probation period.
Transfer on deputation : Officers under the Central Government
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with 5 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
(iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and

(b) Possessing following qualifications and experience:

(i) Degree in electrical engineering from a recognised university or equivalent.

(ii) 5 years professional experience

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)
6. Executive Engineer (Civil)/Surveyor of Works (Civil)/Engineer Officer to Chief Engineer (Civil).	60* (1995) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500.

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(10)	(11)	(12)
2 years for Assistant Engineers	Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Assistant Executive Engineer (Civil) with 5 years regular service in the grade and Assistant Engineers (Civil)/Assistant Surveyor of Works (Civil)/Engineer Assistant to Superintending Engineer/Superintending Surveyor of Works (Civil) having degree in Engineering with 8 years regular service in the grade and those having diploma in Engineering with 11 years service in the grade. Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the requisite qualifying service in the respetive grade/post. Note 2 : The total number of posts in the grade of Executive Engineer to be filled by the diploma holder Assistant Engineers at any point of time shall not exceed 33-1/3% of the sanctioned strength in the grade of Executive Engineers (Civil). Note 3 : —Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. Transfer on Deputation : Officers under the Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing following qualifications and experience : (i) degree in civil engineering from a recognised university or equivalent. (ii) 5 years professional experience. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation.

	(12)
	Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.) The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting —Member 3. Chief Engineer, All India Radio —Member 4. Chief Engineer, Doordarshan —Member 5. Chief Engineer (Civil), Civil Construction Wing —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 301/7/93-B(D)]

SHYAMALIMA BANERJEE, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide GSR No. 370 dated 28-3-1988 in the Gazette of India.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 जून, 1995

सा.का.नि. 328.— वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1994 का एक प्रारूप, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 299ख और धारा 344 की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, जानकारी के लिए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 1 अक्तूबर, 1994 में, भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. 492, तारीख 9 सितम्बर, 1994 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 1 अक्तूबर, 1994 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 299ख की उपधारा (2) के खण्ड (ग),

1509 GI/95—9.

धारा 344 और धारा 344क की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाणपत्र) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाण पत्र) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाणपत्र) नियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के परन्तुक में, 5 बजे अपराह्न और 7 बजे पूर्वाह्न अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और शब्द रखे जाएंगे; अर्थात् :—

"6 बजे अपराह्न और 9 बजे पूर्वाह्न"।

3. उक्त नियम में, पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-